निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 133 / 2021 तारीख दायरा 4.10.2021

उनवान

1. सतीश कुमार पुत्र श्री कृष्णमुरारी जाति ब्राह्मण,
2. उमाशंकर पुत्र श्री कृष्णमुरारी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादीगण

बनाम

1. श्री रामशरण पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन,
2. श्री रामेश्वर पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन,
3. श्री राजेन्द्र उर्फ राजू कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन,
4. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन,
5. राज्य सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:42 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :— 06.10.2021

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के तन्हा खाते एवं कब्जेकाश्त की साबिक खसरा नंबर 17 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा आराजी वाके ग्राम गाडरवाडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो गत 37 वर्षो से लगातार वादीगण के तन्हा हक व कब्जे में बदस्तूर चली आ रही है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीगण द्वारा प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 की माता पूर्वखातेदार श्रीमती कमलाबाई पत्नी श्री मांगीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम सांगोद से कय करके प्राप्त की



उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

थी। वक्त खरीद से ही वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का शान्तिपूर्ण कब्जाकाश्त बदस्तूर चला आ रहा है। विक्रेता कमलाबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक उत्तराधिकार प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 हैं। वक्त खरीद वादीगण नाबालिग अवस्था में थे तथा वादीगण के संरक्षक द्वारा खरीद के दस्तावेज पटवारी हलका को उसी वक्त दे दिये थे व पटवारी हलका द्वारा वादीगण के संरक्षक को विश्वास दिलाया था कि आराजी को मुताबिक बैचान वादीगण के खाते दर्ज कर दिया जायेगा किन्तु खाता विभाजन करवाने हेतु गत माह वादीगण द्वारा ई–मित्र से नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज नहीं है तो वादीगण को उक्त राजस्व त्रुटि का प्रथम बार इल्म हुआ तथा वादीगण द्वारा मुताबिक रजिस्टर्ड बैनामा वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने का निवेदन करने पर उसके द्वारा विक्रेता की मृत्यु हो जाने से बैनामे के आधार पर वादीगण का नाम दर्ज खाता करने में असमर्थता जाहिर की। उसके बाद वादी द्वारा नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि सेटलमैन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी के नये खसरा नंबर 22 रकबा 3.23 हैक्टर कायम करके प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 के पिता के खाते दर्ज कर दिया है जबकि सेटलमैन्ट विभाग को उक्त त्रुटि कारित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। उक्त राजस्व त्रुटि को न्यायहित में दुरुस्त नहीं किया गया तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कमी पूर्ति नहीं हो सकेगी। वादकारण गत माह ई–मित्र से नकल जमबान्दी प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि का ज्ञान होने पर उत्पन्न हुआ। अतः माल ग्राम गाडरवाडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 3.23 हैक्टर आराजी का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावें।

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी क्रं. 1 ता 4 की ओर से जयवर्द्धन गौतम एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया जाकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा इकबाली जवाब के आधार पर वादपत्र अनुसार वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस एकतरफा एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, नकल जमाबन्दी, विक्रय विलेख पत्र व इकबाली जवाब दावा का सूक्ष्मतम अवलोकन व मनन करने के उपरान्त दावा वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम गाडरवाडा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 3.23 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:42 IST
Reason: SelfAttested

# फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

## आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

## निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 133 / 2021 तारीख दायरा 4.10.2021

उनवान

1. सतीश कुमार पुत्र श्री कृष्णमुरारी जाति ब्राह्मण,
2. उमाशंकर पुत्र श्री कृष्णमुरारी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादीगण

बनाम

1. श्री रामशरण पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन,
2. श्री रामेश्वर पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन,
3. श्री राजेन्द्र उर्फ राजू कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन,
4. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति महाजन,
5. राज्य सरकार जरिये [illegible] तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:42 IST
Reason: Self Attested

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 06.10.2021

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम गाडरवाडा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 3.23 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया



उपखण्ड मजिस्टेट

जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:22:42 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)